न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3012–अध्यक्ष/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–5–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील, ग्वालियर प्रकरण कमांक 01/अ–70/12–13.

---

1 मु0 रामश्री बेवा बाबूसिंह
2 राजेन्द्र
3 मुशीसिंह
4 त्रिलोकसिंह
5 गोपाल सिंह
6 बब्लू उर्फ ब्रिजेश पुत्रगण बाबूसिंह
समस्त निवासीगण गौमती की फडी सिकन्दर कम्पू
लश्कर ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 कालीचरन
2 नैहनाराम
3 किशन
4 पूरन
5 श्री राम पुत्रगण नंदराम
निवासी ग्राम गौमती की फडी मेवातीनगर
सिकन्दर कम्पू लश्कर ग्वालियर म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एन0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/9/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–5–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम शहर लश्कर तहसील व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1212, 1227, 1228, 1229/1835, 1329/1836 उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है । प्रश्नाधीन भूमि का दिनांक 14–8–2012 को सीमाकंन स्वीकार किया गया है । आवेदकगण द्वारा उनकें भूमि के सर्वे कमांक 1227 व 1329/1836 के भाग 4 बिस्वा पर मकान बनाकर एवं सर्वे कमांक 1228 व 1229/1835 के रकबा 5 बिस्वा रिक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया है । अतः उन्हैं प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किया जाकर अनावेदकगण को कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 01/12–13/अ–70 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि जिस सीमाकंन के विरूद्ध यह प्रकरण प्रचलित है, उस सीमाकंन के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रचलित है । ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 6–5–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करते हुये प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनावेदकगण की ओर से संहिता की धारा 250 के प्रावधानों के अनुरूप आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत किस दिनांक को कितने

रकबे पर अवैध कब्जा किया गया है इसका स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में होना चाहिए, परन्तु अनावेदकगण ने अपने आवेदन पत्र में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है । इस कारण से उक्त आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण होने से प्रचलन योग्य नहीं है ।

(2) तहसीलदार को संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कृषि भूमि के बाबत कार्यवाही करने का अधिकार है । राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगणों की अनुपस्थिति में किये गये सीमाकंन में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि मौके पर मकान बने हुये है, इससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध है कि मौके पर कृषि भूमि न होकर भवन निर्मित है और इसी आधार पर आवेदकगणों ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह आपत्ति प्रस्तुत की थी कि मौके पर भवन बने होने के कारण इस न्यायालय को संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, इस कारण से अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किया जावे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई आदेश पारित किये बगैर ही आवेदकगण की आपत्ति निरस्त किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध यदि वरिष्ठ न्यायालय में कार्यवाही लंबित है तब संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है । आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध इस न्यायालय में लंबित निगरानी की प्रति प्रस्तुत की गई थी और निवेदन किया गया था कि सीमाकंन कार्यवाही विवादग्रस्त होकर वरिष्ठ न्यायालय में कार्यवाही लंबित है, इसलिये तहसीलदार द्वारा किया गया सीमाकंन कार्यवाही अंतिम स्वरूप की नहीं है । वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती दिये जाने के कारण उक्त सीमाकंन कार्यवाही के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह लिखकर कि सीमाकंन कार्यवाही के विरूद्ध कोई स्थगन आदेश नहीं है, आवेदकगण की आपत्ति निरस्त निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि व प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) वाद कारण दिनांक 14–8–2012 को उस समय उत्पन्न हुआ जब मौके पर सीमाकंन किया गया । अनावेदकगण की उक्त प्रस्तुति रिकार्ड के विपरीत है । राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया है कि मौके पर भवन बने हुये है, इस कारण से सीमाकंन नहीं हो सकता है, इसलिये उक्त टीप के आधार पर सीमाकंन नहीं माना जा सकता है, इसलिये उक्त सीमाकंन के आधार पर अनावेदकगण के विरूद्ध वाद कारण मानते हुये जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उस दिनांक को कोई वाद कारण उत्पन्न न होने के कारण और उक्त भवन 20–25 साल पुराने होने के कारण संहिता की धारा 250 में निर्धारित समय सीमा 2 वर्ष से अधिक समय से निर्मित होने के कारण भी अधीनस्थ न्यायालय को कोई कार्यवाही नहीं करना चाहिए थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर विचार किये बगैर आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करने में वैधानिक भूल की है ।

(5) आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की थी, उक्त आपत्तियॉ क्यों माने जाने योग्य नहीं थी, इसकी विस्तृत विवेचना करते हुये अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह लिखकर कि वरिष्ठ न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है, इस कारण से आवेदकगण की आपत्ति निरस्त की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश बोलता हुआ एवं सकारण आदेश न होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को देखने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है, क्योंकि जो बिन्दु आवेदकगण द्वारा उठाये गये थे और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, उन दस्तावेजों का अवलोकन किये बगैर ही प्रस्तुत रिकार्ड के विपरीत जो आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 1998 राजस्व निर्णय 106, एवं 1969 जे0एल0जे शार्ट नोट 27 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व मण्डल में सीमाकंन के विरूद्ध निगरानी प्रचलित रहने के कारण संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण प्रचलन योग्य रहता है और जब तक वरिष्ठ न्यायालयों से कोई स्थगन प्राप्त न हो तहसीलदार द्वारा न तो कार्यवाही रोकी जा सकती है और न ही संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण निरस्त किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर मकान बनाया जा रहा है, अतः संहिता की धारा 250 के प्रावधान लागू होंगे । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आबादी क्षेत्र में भूमि स्थित होने पर संहिता की धारा 250 के प्रावधान लागू होते है और आवेदकगण द्वारा निर्धारित अवधि में तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, इसलिये तहसीलदार के समक्ष प्रकरण प्रचलन योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में यह निर्विवादित है कि सीमांकन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में स्थगन नहीं दिया गया है । विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन नहीं है, तब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है । अतः तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष प्रकरण प्रचलित है, जहां आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है, और वे तहसीलदार के समक्ष इस न्यायालय में उठाये गये आधारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकरण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार तहसीलदार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–5–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर